

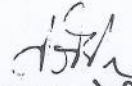
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4 (ई)/(एन-27/92)/अलेसे-III/ 13181-13194 दिनांक :- 27/3/2014

कार्यालय आदेश 420/2013-14

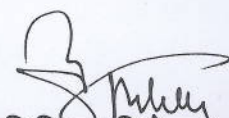
श्री नरसिंह राम, कनिष्ठ लेखाकार तत्कालीन पदस्थापित कार्यालय पंचायत समिति, धोरीमन्ना (बाड़मेर) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर द्वारा दर्ज अपराध संख्या 271/2011 में इस विभाग के समसंख्यक पत्रांक 13154 दिनांक 27.03.2014 द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी करने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा उक्त श्री नरसिंह राम, कनिष्ठ लेखाकार, वर्तमान पदस्थापन ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, धोरीमन्ना (बाड़मेर) को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

इन्हें निलम्बन काल के दौरान राजस्थान सेवा नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय कोषाधिकारी, जालौर में किया जाता है, जहां वे नियमित उपस्थिति देंगे।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4 (ई)/(एन-27/92)/अलेसे-III/ 13181-13194 दिनांक :- 27/3/2014
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. उप महानिरीक्षक पुलिस (द्वितीय), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर/जालौर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, धोरीमन्ना (बाड़मेर)।
4. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, धोरीमन्ना (बाड़मेर)।
5. कोषाधिकारी, जालौर।
6. श्री नरसिंह राम, कनिष्ठ लेखाकार, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, धोरीमन्ना (बाड़मेर)।
- ✓ 7. उप निदेशक (ए.सी.पी.) (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।
8. श्री महेन्द्र गोयल, लेखाकार, शाखा अलेसे-III।
9. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
10. पदस्थापन शाखा/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)